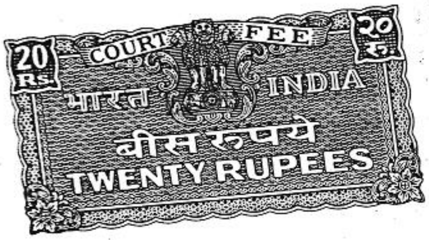

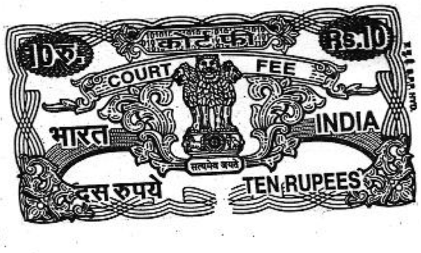

(68)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड, ग्वालियर• वृत जबलपुर

निगरानी 789-I-15

पुन• याचिका क्रं•

पुनरीक्षणकर्तागण :- 1• सुबोध कुमार जैन पिता कोमल चंद

2• मनोज कुमार जैन पिता कोमल चंद

3• सुभाष कुमार पिता कोमल चंद जैन

सभी निवासी - ग्राम कछार गांव, तह०

ढीमरखेडा• जिला कटनी•

विरुद्ध

उत्तरप्रेक्षी :- सील चंद जैन पिता श्री गोरे लाल जैन

निवासी - कछार गांव बडा• तहसील

ढीमरखेडा जिला कटनी म•प्र•

सतीश गौतम
एडवोकेट
17.03.15

(68)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

जिला – कटनी

प्रकरण कमांक निग0 789–एक / 15

स्थान तथा दिनांक	कर्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30–4–15	प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर कलेक्टर ने उभयपक्षों को सुनने के उपरांत तथा अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया है कि आवेदक द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत पुनरीक्षण के साथ अवधि विधान की धारा 5 का जो आवेदन पेश किया है उसमें विलंब का कोई ठोस कारण नहीं दर्शाया गया है और इस कारण उन्होंने पुनरीक्षण को अस्वीकार किया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पुनरीक्षण विलंब से प्रस्तुत किए जाने के संबंध में कोई ठोस एवं समाधान कारक कारण नहीं बताए गए हैं, जिनके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके । परिणामतः यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आवेदक सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	